



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-21/2017-1238 दिनांक : 03.10.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकूड़ वन प्रमंडल/देवघर वन प्रमंडल/गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल/मेदिनीनगर वन प्रमंडल/बोकारो वन प्रमंडल/सरायकेला वन प्रमंडल/गोड्डा वन प्रमंडल।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में शुरू किये गये वनरक्षी आवास निर्माण (चार फ्लैट का एक यूनिट) को पूर्ण करने हेतु कुल **₹ 208.862 लाख (दो करोड़ आठ लाख छियासी हजार दो सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4/यो0ब0-20/2017-50/स्वी0 व0प0 दिनांक-15.03.2018, स्वी0 सं0-14/स्वी0 व0प0 दिनांक-20.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या- 04/यो0ब0-20/ 2017-77/आ0 व0प0 दिनांक-24.09.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-15-वन प्रबंधन सुविधायें योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **208.862 लाख (दो करोड़ आठ लाख छियासी हजार दो सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101150103	83.545
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101150323	125.317
कुल :-		208.862

2. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति में त्रुटियाँ पाए जाने के कारण पूर्व प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति को अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग से पुनः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया गया है। अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा 30.876 लाख (तीस लाख सतासी हजार छः सौ) रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। विगत वर्ष प्रति फ्लैट 18.590 लाख (अठारह लाख उनसठ हजार) रुपये इस कार्य के लिए राशि उप आवंटित है, शेष प्रति फ्लैट 12.286 लाख (बारह लाख अठाईस हजार छः सौ) रुपये की दर से राशि उप आवंटित की जा रही है।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।
4. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101150103 एवं 19S240601101150323, है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
7. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सिमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त स्वीकृति राशि के विरुद्ध निर्माण कार्य से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या- 3916 दिनांक-13.09.2012 का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे

दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-21/2017-1238 दिनांक- 03.10.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ पलामू/ बोकरो/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा बोकरो/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-21/2017-1238 दिनांक- 03.10.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़/ देवघर/ गढ़वा/ मेदिनीनगर/ बोकरो/ सरायकेला-खरसावां/गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली वन प्रबंधन सुविधायें (अन्य व्यय) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में शुरू किये गये वनरक्षी आवास (चार फ्लैट का एक यूनिट) को पूर्ण करने हेतु प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र.सं.	प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य यूनिट की संख्या (चार फ्लैट का एक यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2018-19		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	2	9.829	14.743	24.572
2	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	2	9.829	14.743	24.572
3	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	2	9.829	14.743	24.572
4	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	2	9.829	14.743	24.572
5	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	2	9.829	14.743	24.572
6	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	2	9.829	14.743	24.572
7	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	3	14.742	22.116	36.858
8	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	2	9.829	14.743	24.572
सकल योग :-		17	83.545	125.317	208.862


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित राशि की विवरणी :-						
TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S240601101150103	19S240601101150323	Total
Pakur	PKRFOR001	Premjit Anand	Divisional Forest Officer	982900 (60245)	1474300 (60259)	2457200
Deoghar	DGRFORE88	Mamta Priyadarshi	Dfo Deo.For.Div.Deo.	982900 (60249)	1474300 (60260)	2457200
Garhwa	GRHFWL001	Ashok Kumar Dubey	D.F.O. North Div. Garhwa	982900 (60250)	1474300 (60261)	2457200
Garhwa	GRHFWL004	Sr Arvind Kumar	D.F.O. South Div.Garhwa	982900 (60251)	1474300 (60262)	2457200
Palamu	PLMFOR070	Naresh Chandra Singh Munda	D.F.O.Medininagar.Forest.Div.	982900 (60253)	1474300 (60264)	2457200
Bokaro	BKRFOR001	P.R. Naidu	D F O, Bokaro	982900 (60254)	1474300 (60265)	2457200
Saraikela	SKLFOR001	Saba Alam Ansari	D. F. O. Seraikella-Kharsawan	1474200 (60256)	2211600 (60266)	3685800
Godda	GDDFOR164	Manish Kumar	Dfo Godda Forest Division	982900 (60258)	1474300 (60267)	2457200
कुल आवंटित राशि :- 20886200 (दो करोड आठ लाख छियासी हजार दो सौ) रूपये मात्र ।						
टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए						



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

यावत् वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-21/2017/1238

दिनांक - 03-Oct-2

क्रमांक	विपन कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	60245	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	982,900.00 रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ
State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA				
2	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	60249	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO FOR.DIV.DEO.	982,900.00 रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ
State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA				
3	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	60250	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	982,900.00 रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ
State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA				

योग:

2,948,700.00

क्रमिक योग:

रुपये उन्तीस लाख अडतालीस हजार सात सौ


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D. (BANDHUPUR) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	60251	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	982,900.00 रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ
State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA				
5	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	60253	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	982,900.00 रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ
State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA				
6	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	60254	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	982,900.00 रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ
State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA				

योग:

2,948,700.00

क्रमिक योग:

रुपये अठावन लाख सित्तानवे हजार चार सौ

5,897,400.00


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. B. DHARMAJI (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	60256	SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,474,200.00 रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार दो सौ
	State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	60258	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	982,900.00 रुपये नौ लाख बयासी हजार नौ सौ
	State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	60259	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,474,300.00 रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ
	State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA			

योग:

3,931,400.00

क्रमिक योग:

रुपये अठानवे लाख अठाइस हजार आठ सौ

9,828,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DEBANGHAR (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101150323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	60260	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,474,300.00 रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ
11	S 19 240601101150323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	60261	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	1,474,300.00 रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ
12	S 19 240601101150323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	60262	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	1,474,300.00 रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ

योग:

4,422,900.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड बयालीस लाख इकावन हजार सात सौ

14,251,700.00


(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	60264	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR, OREST.DIV.	1,474,300.00 रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ
	State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	60265	BKRFOR001 P.R. NAIDU D.F.O. BOKARO	1,474,300.00 रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ
	State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA			
15	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	60266	SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	2,211,600.00 रुपये बाइस लाख ग्यारह हजार छः सौ
	State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA			

योग:

5,160,200.00

क्रमिक योग:


रुपये एक करोड चौरानवे लाख ग्यारह हजार नौ सौ

19,411,900.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D(BADHWAN)RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601101150323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	60267	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	1,474,300.00 रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ
	State Scheme : Central Scheme :	FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) NA		



योग:

1,474,300.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड आठ लाख छियासी हजार दो सौ

20,886,200.00

Sachwan
(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DEBANDHARA (S) RANCHI